–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 01/2022

उनवान

मतिया बनाम अमरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

–: आदेश :–

दिनांक :– 17.4.25

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 /प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 439, 441 व 445 बाबत वादी का फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 29.5.19 को वरिष्ठ सिविल जज नसीराबाद द्वारा दिनांक 24.5.22 को निरस्त कर शून्य घेषित किया गया है। वादी का हक व अधिकार आराजी मुतनाजा से समाप्त हो गया है। धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही भी की गयी हैं अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिवक्ता वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र नही पेश कर सीधी बहस करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद दिनांक 03.01.2022 को न्यायालय में दर्ज किया गया। वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया है कि आराजी मुतनाजा उसकी कयशुदा होने के कारण उसे खातेदारी प्रदान की जावे। प्रतिवादी द्वारा उक्त आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार वादी जिस विक्रय पत्र के आधार पर आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करना चाहता है, उक्त विक्रय पत्र सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2022 को निष्प्रभावी व शून्य घोषित किया जा चुका है। दिनांक 24.05.22 को पारित न्यायालय आदेश के विरूद्व वादी द्वारा आज दिनांक तक कोई चाराजोही नही की है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी नही किया है। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत विक्रय पत्र निरस्त होने के कारण आराजी मुतनाजा पर वादी को कोई हक व अधिकार शेष नही रहा है। वादी का वाद कारण भी समाप्त हो गया है। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधान अनुसार वाद चलने योग्य नही है। प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस व प्रार्थना पत्र में उठाये गये तथ्यों से वाद इसी स्तर पर निरस्त कने योग्य है।

अतः प्रतिवादी संख्या 1/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी का वाद खारिज किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:07:45 IST
Reason: SelfAttested